न्यायालय भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, बसिया (गुमला)।

<u>अनुमति वाद संख्या 743 / 2019–20</u>

आदेश की क्र0सं0 एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी

आवेदक श्री सालमोन बेक पिता स्व0 दानियल बेक, ग्राम– करंजटोली, थाना – पालकोट, जिला– गुमला (झारखण्ड) ने निम्नाकिंत विवरणी की भूमि बिकी करने हेतु अनुमति के निमित छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र समर्पित किया है। उक्त आवेदन के आधार पर अनुमिति वाद प्रारम्भ किया गया।

<u>भूमि का विवरणी</u>

राजस्व ग्राम	थाना संख्या	संख्या खाता	प्लॉट संख्या	रकबा (एकड़)	किस्म जमीन
बनईडेगा	39	69	768, 775	0.09 एकड़ 0.05 ए0 कुल 0.14ए0(चौदह)	टांड़ II

चौहदी :– उत्तर –पीटर तिर्की । दक्षिण –टांड मार्शल बिलुंग।

पूरब –चामु पहान का मकान। पश्चिम –कच्चा रास्ता।

<u>जमीन विकेता की विवरणी</u>

आवेदक – श्री सालमोन बेक पिता स्व0 दानियल बेक, ग्राम–करंजटोली, थाना – पालकोट, जिला– गुमला

<u>जमीन केता की विवरणी</u>

केता – श्री बिमल टोप्पो पिता श्री पौलुस टोप्पो, ग्राम–बनईडेगा, थाना – पालकोट, जिला– गुमला

भूमि सुधार उपसमाहर्ता बसिया, (गुमला)

आवेदित भूमि को आवेदक प्रस्तावित **केता** श्री बिमल टोप्पो पिता श्री पौलुस टोप्पो, ग्राम–बनईडेगा, थाना – पालकोट, जिला– गुमला को रूपये 50,000 (पचास हजार) रूपये पर बिक्री करने का तय हुआ है। आवेदक को मकान बनाने/इलाज हेतु/हर बैल खरीदने हेतु रूपय की आवश्यकता है। रूपये आने का अन्य कोई श्रोत नहीं होने के कारण ही आवेदक भूमि की बिक्री कर रहे है। अंचलाधिकारी, पालकोट को आवेदन भेजते हुए जॉच प्रतिवेदन की मांग की गई एवं आम ईश्तेहार निर्गत किया गया। अंचलाधिकारी, पालकोट के कार्यालय के पत्रांकः– 330(ii)/रा0 दिनांकः– 25/08/2020 के द्वारा जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा आवेदक को जमीन बिक्री करने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु अनुशंसा की गई है। निर्धारित तिथि तक किसी प्रकार का कोई आपत्ती दर्ज नहीं हुआ है। आवेदित भूमि पर आवेदक का शांतिपूर्वक दखल कब्जा है। उक्त भूमि की बिक्री के बाद भी आवेदक के पास पर्याप्त भूमि शेष बचता है। आवेदक का वक्तव्य उनके विज्ञ अधिवक्ता के पहचान पर अभिलिखित किया गया। आवेदक ने अपने वक्तव्य में कहा है कि वह भूमि उनकी खतियानी एवं दखल हिस्से की है। आवेदित भूमि विवाद रहित है। साथ ही गैरमजरूआ आम/खास भूम बन्दोबस्ती, भू–हदबन्दी भूदान, वनसीमा एवं भू–अर्जन इत्यादि से मुक्त है। दोनो पक्ष अनुसूचित जनजाति समुदाय के अन्तर्गत जाति उरॉव के है साथ ही एक ही थाना के निवासी है।

अतः अंचल अधिकारी, पालकोट के जॉच प्रतिवेदन में निहित अनुशंसा के आधार पर उपरोक्त विवरण की भूमि को आवेदक श्री सालमोन बेक पिता स्व0 दानियल बेक, ग्राम– करंजटोली, थाना – पालकोट, जिला– गुमला को उपरोक्त वर्णित राशि अथवा जिला निबंधन कार्यालय के मार्गदर्शिका में अंकित बाजार मूल्य दोनो में जो अधिक हो पर बिक्री करने हेतु विपक्षी के साथ छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एतत् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उप –समाहर्त्ता
बसिया (गुमला)

भूमि सुधार उप –समाहर्त्ता
बसिया (गुमला)

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता बसिया, (गुमला)

Digitally signed by SHEKHAR KUMAR
Date: 2024.08.12 13:52:23 +05:30
Location: 192.168.0.112